न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 29 / 2016(2016 / 00314)

अनवान : –

संजयसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जान्दू निवासी खचवाना तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. अमरसिंह पि0 मु0 मामचन्द जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. जयवीरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 को0 कन्डीशन सपठित
धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री राजेन्द्र गोयल प्रार्थी
श्री चरणसिंह अप्रार्थी

आदेश दिनांकः 10/11/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 डीपीएन के खाता सं 2 / 2 के मु0न0 33 के किला न0 6ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मु0 न0 34 के किला न0 10 ता 13, 18 ता 23, मु0 न0 41 के किला न0 1 ता 3 इस प्रकार कुल 7.337 हैक्टेयर नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थी के नाम 6.072 हैक्टेयर में प्रार्थी संजयसिंह के नाम1 / 2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

अप्रार्थी विजयसिंह के नाम चक 7 डीपीएन के वर्तमान खाता संख्या 83 / 87 के मुरब्बा न0 6 के किला न0 5 की कुल 0.253 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी संजयसिंह अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये चक 7 डीपीएन के मुरब्बा न0 6 के किला न0 5 जो अप्रार्थी विजयसिंह के नाम दर्ज है में से होकर चक 5 डीपीएन के मु0 न0 47 के किला न0 1 ता 5 के दक्षिणी तरफ, मु0 न0 48 के किला न0 1 ता 3 के दक्षिणी तरफ तथा किला न0 7 व 14 के पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण होते हुये किला न0 14 में ही दक्षिण तरफ पश्चिम से पूर्व तथा किला न0 15 के दक्षिणी तरफ पश्चिमी से पूर्वी तरफ तथा मु0 न0 49 के किला न0 11 ता 15 के दक्षिणी पश्चिम से पूर्व चलकर तथा मु0 न0 51 के किला न0 11 ता 15 के दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ चलकर अपनी खातेदारी चक 4 डीपीएन के मु0 न0 33 के किला न0 11 में प्रवेश करता है। इसके अलावा प्रार्थी का अपने खातेदारी में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता स्वीकृत अथवा चालू नही है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2021 कैम्प स्थल खचवाना में पेश किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला हनुमानगढ)

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है तथा तहसीलदार राजस्व भादरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिस पर सभी पक्षकारानों ने आपसी सहमति से हस्ताक्षर कर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकार किया जावें। सभी पक्षकारानों ने आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत करने की सहमति दी है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 1 विजयसिंह के नाम 7 डीपीएन के मु0 न0 6 के किला न0 5 के दक्षिणी तरफ 45 फीट की जगह छोड़कर पश्चिम से पूर्व की तरफ 0.013 हैक्टेयर व इसी किला न0 में पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण तरफ 0.005 हैक्टेयर रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड, हॉल जमाबन्दी एवं नक्शा में किया जावें। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/11/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़